

## गेल (इंडिया) लिमिटेड

### वेंडरों तथा ग्राहकों के लिए जीएसटी टेम्प्लेट

#### **भूमिका:**

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना भारतीय अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी विभिन्न केन्द्रीय करों जैसे-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, एसएडी, सीवीडी तथा राज्य करों जैसे वैट, सीएसटी आदि को प्रतिस्थापित कर देगा।

यह प्रमुख रूप से कास्केडिंग अथवा दुहरे कराधान को समाप्त करेगा तथा एक समान राष्ट्रीय बाजार हेतु राह तैयार करेगा। ग्राहक के दृष्टिकोण से करों के कास्केडिंग प्रभाव तथा आपूर्ति चेन में इनपुट कर क्रेडिट की उपलब्धता के कारण इसका सबसे बड़ा अपेक्षित लाभ माल पर सकल कर बोझ में कमी के रूप में होगा।

संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 समवर्ती रूप से संघ (केन्द्रीय कर-सीजीएसटी के रूप में) तथा राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों (राज्य कर-एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के रूप में) द्वारा जीएसटी लगाने का अधिकार देता है। तदनुसार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017(सीजीएसटी) को लागू किया गया है जिसका कार्यान्वयन 01.07.2017 से प्रभावी होगा। इसी प्रकार, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम (एसजीएसटी) अधिनियमित किया है।

यह देखा जा सकता है कि पांच पेट्रोलियम उत्पादों जैसे-प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल तथा एटीएफ को वर्तमान में जीएसटी की व्यवस्था से बाहर रखा गया है तथा इन्हें भविष्य में जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर जीएसटी के तहत लाया जाएगा। अतः इन उत्पादों पर मौजूदा परंपरागत कर अर्थात्-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, सीएसटी आदि लगाए जाते रहेंगे तथा ग्राहकों को टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा।

#### **जीएसटी के तहत किसे पंजीकरण कराना आवश्यक है**

जीएसटी पंजीकरण निम्नलिखित मामलों में आवश्यक है :

- क) प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकृत हो अथवा जो पूर्ववर्ती कानून के तहत लाइसेंस रखता हो
- ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसका एक वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपए से अधिक तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में दस लाख रुपए से अधिक का टर्नओवर हो।
- ग) प्रारंभिक सीमा के बिना पंजीकरण हेतु देय निश्चित आपूर्तिकर्ता जैसे :
  - i) माल एवं सेवाओं की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति
  - ii) विपरीत प्रभार के तहत कर भुगतान हेतु अपेक्षित व्यक्ति
  - iii) सामान्य कर योग्य व्यक्ति जो माल एवं सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करते हों।
  - iv) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के तहत कर की कटौती हेतु अपेक्षित व्यक्ति
  - v) अन्य कर योग्य व्यक्ति के स्थान पर माल या सेवाओं की आपूर्ति कर रहा व्यक्ति भले ही वह एजेंट हो या कोई और।

इसके अलावा किसी वित्तीय वर्ष में सकल 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले किसी करदाता को पंजीकरण कराने तथा ग्राहकों पर जीएसटी प्रभारित करने से छूट प्राप्त होगी। इस उद्देश्य के लिए सकल टर्नओवर की गणना समस्त भारत आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों जैसे पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों के लिए प्रांभिक सीमा में 10 लाख रुपए की छूट होगी। प्रारंभिक सीमा में छूट के लिए पात्र सभी करदाताओं के पास ऐच्छिक रूप से पंजीकृत होने तथा माल एवं सेवा की आपूर्ति पर कर वसूल करने का विकल्प होगा जिससे उन्हें आवक आपूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ मिलेगा। अंतर-राज्य माल एवं सेवाओं की आपूर्ति कर रहे अथवा विपरीत प्रभार आधार पर जीएसटी भुगतान हेतु देय करदाता प्रारंभिक सीमा में छूट हेतु पात्र नहीं होंगे। भुगतान किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट वेंडर द्वारा सरकार को जीएसटी का भुगतान न करने अथवा रिटर्न फाईल नहीं करने पर नहीं होगा।

### **जीएसटी पंजीकरण :**

जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने हेतु विभिन्न चरणों का विवरण अनुबंध-क में दिया गया है। तथापि, यह नोट किया जाए कि पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन प्रति/सॉफ्ट प्रति तैयार रखनी होंगी :

1. व्यापार गठन का प्रमाणपत्र
2. प्रोमाटरो/भागीदारों के फोटोग्राफ
3. प्रोमोटरो/भागीदारों के पैन नंबर
4. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का प्रमाणपत्र
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटोग्राफ
6. व्यापार के प्रमुख स्थान का प्रमाण
7. अतिरिक्त व्यापार स्थान का प्रमाण
8. आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी)

### **गेल के वेंडरों/ग्राहकों का जीएसटी पंजीकरण अद्यतन करना**

1. गेल के वेंडरों/ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपना जीएसटी पंजीकरण करवा लें।
2. गेल के वेंडरों/ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपना जीएसटी पंजीकरण निम्नलिखित लिंक <https://gailebank.gail.co.in/gstn/frmGstnentry> पर अद्यतन कर लें।
3. यदि वेंडरों/ग्राहकों के जीएसटी पंजीकरण विवरण गेल के पास उपलब्ध न हों तो गेल उनके विवरणों का उल्लेख इनवाँयस पर नहीं कर सकेगा जिसके कारण उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।
4. किसी भी कठिनाई की स्थिति में गेल के वेंडर/ग्राहक निम्नलिखित ई-मेल आईडी अथवा फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं :

ई-मेल: [gailgsthelpline@gail.co.in](mailto:gailgsthelpline@gail.co.in)

फोन नं. : 011- 26105474

## जीएसटी के तहत अनुपालन

करदाता को माल/सेवाओं की आपूर्ति हेतु जीएसटीएन वेबसाइट (जीएसटीएन पोर्टल) पर निम्नलिखित रिटर्न भरने होंगे :

रिपोर्ट का नाम	उद्देश्य	नियत दिनांक
जीएसटीआर-1 (मासिक)	जावक आपूर्तियां	अगले महीने की 10 तारीख
जीएसटीआर-2 (मासिक)	आवक आपूर्तियां	अगले महीने की 15 तारीख
जीएसटीआर-3 (मासिक)	मासिक रिटर्न	अगले महीने की 20 तारीख
जीएसटीआर-9 (वार्षिक)	वार्षिक रिटर्न	अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर

तथापि, पहले दो महिनो के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की उपर्युक्त समय सीमा में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :

माह	रिटर्न	नियत तारीख
जुलाई 2017	जीएसटीआर-1	05.09.2017
जुलाई 2017	जीएसटीआर-2	10.09.2017
अगस्त 2017	जीएसटीआर-1	20.09.2017
अगस्त 2017	जीएसटीआर-2	25.09.2017

सभी करदाताओं द्वारा जीएसटीएन पोर्टल (जीएसटीएन वेबसाइट) पर जीएसटी रिटर्न भरा जाना है। छोटे करदाता सीधे अपनी रिटर्न जीएसटीएन पोर्टल पर भरें। तथापि, बड़े करदाता जिनके पास अधिक लेनदेन होते हैं, वे जीएसटी सिस्टम एपीआई की मदद से जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन निर्माताओं को जेनरिक नाम अर्थात् जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) तथा ऐप्लीकेशन सेवा प्रदाता (एसपी) नाम दिया गया है। ऐसे एसपी तथा जीएसपी करदाताओं को जीएसटीएन पोर्टल पर अनुपालन हेतु आवश्यक सहायता देंगे। एसपी करदाताओं को जीएसटी अनुपालन संबंधी सेवाएं करदाता के लेनदेन डाटा की प्रोसेसिंग के माध्यम से देगा। जीएसपी जीएसटीएन पोर्टल पर डाटा अपलोडिंग/डाउन-लोडिंग संबंधी सेवाएं देगा। केवल जीएसटीएन अनुमोदित जीएसपी प्रकाशित एपीआई का प्रयोग कर जीएसटीएन से जुड़ने के लिए प्राधिकृत हैं। वर्तमान में 34 डेवलपरों को जीएसपी के रूप में सेवा प्रदान करने हेतु मंजूरी दी गई है। प्राधिकृत जीएसपी की सूची वेबसाइट <https://www.gstn.org/gsp-list/> पर देखी जा सकती है।

## जीएसटी पंजीकरण के लिए अपनाए जाने वाले चरण:

सेंट्रल एक्साइज / सर्विस टैक्स / वैट के अंतर्गत पंजीकृत सभी मौजूदा करदाताओं को संबंधित क्षेत्राधिकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर / वैट अधिकारियों द्वारा एक अस्थाई आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। मौजूदा पंजीकृत करदाताओं को अभी तक अस्थाई आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे इसके लिए अपने क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें।


अस्थाई आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के पश्चात् मौजूदा करदाता को जीएसटी कॉमन पोर्टल (<https://www.gst.gov.in>) पर अस्थाई आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए निम्न प्रक्रिया द्वारा अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होगा :

जीएसटी नामांकन के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा :-

1. जीएसटी कॉमन पोर्टल को ओपेन करना [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in)
2. निम्न जीएसटी होम पेज प्रदर्शित होगा
3. न्यू यूज़र लॉगइन बटन पर क्लिक करें




3. घोषणा पृष्ठ प्रदर्शित होगा। घोषणा के लिए चेकबॉक्स का चयन करें तथा कंटेन्यू बटन पर क्लिक करें।



- लॉगइन पेज प्रदर्शित होगा। प्रोविज़नल आईडी फ़ील्ड में, राज्य वैट विभाग से ईमेल, एसएमएस अथवा संचार के अन्य माध्यम से आपके द्वारा प्राप्त किया गया यूज़रनेम टाइप करें।
- पासवर्ड फ़ील्ड में, राज्य वैट विभाग से ईमेल, एसएमएस अथवा संचार के अन्य माध्यम से आपके द्वारा प्राप्त किया गया पासवर्ड टाइप करें।
- स्क्रीन में दिखाए अनुसार कैप्चा टैक्स्ट टाइप करें।
- लॉगइन बटन पर क्लिक करें।

**नोट:**

- अस्थाई आईडी और पासवर्ड प्राप्त न होने अथवा खो जाने की स्थिति में आप अपने राज्य के वैट विभाग से संपर्क करें।



- अस्थाई आईडी सत्यापन पृष्ठ प्रदर्शित होगा। ईमेल एड्रेस फ़ील्ड में अपना ईमेल एड्रेस प्रविष्ट करें।
- मोबाइल नम्बर फ़ील्ड में अपना वैध भारतीय मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करें।  
दो वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजे जाएंगे :  
क. एक ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पर, तथा

ख. दूसरा ओटीपी मोबाइल नम्बर पर सत्यापन हेतु दोनो ओटीपी आवश्यक हैं।

नोट:

- प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करें। जीएसटी कॉमन पोर्टल से भविष्य में सभी पत्राचार इसी पंजीकृत ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर पर भेजे जाएंगे।

10. कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।

Goods and Services Tax

Home > Create Username

Provisional ID Verification OTP Verification New Credentials Security Questions

Kindly provide the below information to proceed

Indicates Mandatory Fields

Please enter Mobile Number and Email Address of Authorised Signatory. All future correspondences from the GST portal will be sent on this registered Mobile Number and Email Address only. Changes to this will be non-editable till 01/04/2017

Email Address\*

Enter Email Address

Mobile Number\*

+91 | Enter Mobile Number

CONTINUE

11. ओटीपी सत्यापन पेज प्रदर्शित होगा। ईमेल ओटीपी फील्ड में, आपके द्वारा अपने ईमेल एड्रेस पर प्राप्त किया गया ओटीपी प्रविष्ट करें।

12. मोबाइल ओटीपी फील्ड में, आपके द्वारा अपने मोबाइल पर प्राप्त किया गया ओटीपी प्रविष्ट करें।

नोट:

ओटीपी प्राप्त न होने की स्थिति में, आपके ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर पर ओटीपी दोबारा भेजने हेतु **रीसेंड ओटीपी** बटन पर क्लिक करें।

13. कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।

Goods and Services Tax

Home > Create Username

Provisional ID Verification OTP Verification New Credentials Security Questions

OTP Verification

Indicates Mandatory Fields

Please enter the OTPs sent to your Email Address unmesh@gmail.com and Mobile Number 9986863270

Email OTP\*

Enter Email OTP

Mobile OTP\*

Enter Mobile OTP

CONTINUE RESEND OTP



14. नया क्रेडेंशियल पेज प्रदर्शित होगा ।

न्यू यूज़रनेम फील्ड में, अपनी पसंद का यूज़रनेम प्रविष्ट करें ।

15. न्यू पासवर्ड फील्ड में, अपनी पसंद का पासवर्ड प्रविष्ट करें जिसका उपयोग आप अगली बार से करेंगे ।

नोट:

- यूज़रनेम 8 से 15 अक्षरों का होना चाहिए जिसमें वर्ण, अंक तथा विशेष वर्ण (डॉट (.), अंडरस्कोर ( \_ ) अथवा हाइफन (-)) शामिल हो ।
- पासवर्ड 8 से 15 अक्षरों का होना चाहिए जिसमें कम से कम एक वर्ण, एक संख्या, एक अपर केस लैटर, एक लोअर केस लैटर तथा एक विशेष वर्ण शामिल हो ।

16. रीकन्फर्म पासवर्ड फील्ड में, पासवर्ड पुनः प्रविष्ट करें ।

17. कंटेन्यु बटन पर क्लिक करें ।

Goods and Services Tax

Home Create Username

Previous ID Verification OTP Verification New Credentials Security Questions

Kindly provide the below information to proceed

\* Indicates Mandatory Fields

New Username\*

Enter New Username

You are required to choose a New Username. Username should be of 8 to 15 characters, which should start with an alphabet, should comprise of alphabets and can contain numbers, special character (dot (.), underscore ( \_ ) or hyphen (-))

New Password\*

Enter New Password

Password should be of 8 to 15 characters, should comprise of at least: one alphabet, one number, once upper case letter, one lower case letter and one special character

Re-confirm Password\*

Re-enter New Password

CONTINUE

- Lower Case
- Number
- Upper Case
- Symbol
- Min. Length
- Valid Password

18. सुरक्षा प्रश्न पृष्ठ प्रदर्शित होगा । प्रत्येक सुरक्षा प्रश्न के लिए उत्तर प्रविष्ट करें ।

नोट:

इस पेज पर पांच प्रश्न हैं । सभी सुरक्षा प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है । सुरक्षा प्रश्नों का उत्तर देते समय सावधान रहें । यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तब आपको अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए इन सुरक्षा प्रश्नों के उत्तर देने होंगे ।

19. सबमिट बटन पर क्लिक करें ।

Goods and Services Tax

Home | Create Username

Progress: Previous ID Verification (✓) | GTF Verification (✓) | New Credentials (✓) | Security Questions (✗)

Security Questions (To enable you to retrieve your password in case you forget it)

\* Indicates Mandatory Fields

1. What is the date of birth of Proprietor (in case of Proprietorship) / Year of commencement of Business (Others)? \*
2. What is your mother's name (in case of Proprietorship) / mother's name of Primary Authorized Signatory? \*
3. Name your main commodity / service \*
4. Name of the first employee \*
5. Personal Mobile Number of Proprietor / Authorized Signatory \*

Enter Security Answer

Enter Security Answer

Enter Security Answer

Enter Security Answer

Enter Security Answer

SUBMIT

“Username and password have been successfully changed. Kindly login using these credentials”

(“यूज़रनेम व पासवर्ड सफलता पूर्वक बदले गए । इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए लॉगइन करें”) का संदेश प्रदर्शित होगा । अब आप हाल ही में बनाए गए यूज़रनेम व पासवर्ड का उपयोग करके जीएसटी कॉमन पोर्टल पर लॉगइन कर सकते हैं ।


20. यूज़रनेम फील्ड में, आपके द्वारा अभी बनाया गया यूज़रनेम प्रविष्ट करें ।

20. पासवर्ड फील्ड में, आपके द्वारा अभी बनाया गया पासवर्ड प्रविष्ट करें ।

22. स्क्रीन पर दिखाए अनुसार कैप्चा टेक्स्ट टाइप करें

23. लॉगइन बटन पर क्लिक करें ।





24. वेलकम पेज प्रदर्शित होगा। कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें



आपका डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा।

नोट:

पंजीकरण के लिए आवेदन केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जा सकता है। आप आवेदन को सुरक्षित रख सकते हैं और बाद में वापस प्राप्त कर सकते हैं। लाल डॉट से मार्क की गई सभी फील्ड भरी जाना अनिवार्य है।

वैकल्पिक तौर पर, पंजीकरण आवेदन हेतु आप **डैशबोर्ड > प्रोविज़नल आईडी** कमांड पर क्लिक कर सकते हैं।

The screenshot shows the GST portal dashboard. The user is logged in as 'UMESH SINGH'. The dashboard displays the 'Provisional ID Enrolment' status. Below this, there is a table with the following data:

Application Type	Provisional ID	Last Modified	Profile
Enrolment	10BHBPS7793B1ZG	07/10/2016	90%

Below the table, there is a progress bar with icons for the following steps: Business Details, Promoter/Partners, Authorized Signatory, Principal Place of Business, Additional place of business, Goods & Services, Bank Accounts, and Verification. The first five steps are marked with a checkmark, indicating they are completed.

पृष्ठ के शीर्ष पर, बिज़नेस डिटेल्स, प्रोमोटर/पार्टनर्स, ऑथोराइज़्ड सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस, गुड्स एंड सर्विसिज़, बैंक एकाउंट्स एवं वेरीफिकेशन जैसे आठ टैब हैं।

निम्नलिखित प्रत्येक टैब के संदर्भ में विवरण प्रविष्ट किया जाना है :

- क) बिज़नेस डिटेल्स,
- ख) प्रोमोटर/पार्टनर्स
- ग) ऑथोराइज़्ड सिग्नेटरी
- घ) प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस
- ङ) एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस
- च) गुड्स अथवा सर्विसिज़ अथवा दोनों
- छ) बैंक एकाउंट्स
- ज) वेरीफिकेशन

पंजीकरण आवेदन भरे जाने के पश्चात्, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करके आवेदन डिजिटली हस्ताक्षरित किया जाना है। निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

• indicates mandatory fields

### Verification

I/We hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Authorized Signatory\*

Place\*

Designation

Date\*

सबमिट विद डीएससी बटन पर क्लिक करें ।

नोट:

पंजीकरण आवेदन सुरक्षित करने के लिए, सबमिट बटन पर क्लिक करें ।

प्रोसीड बटन पर क्लिक करें ।

प्रमाणपत्र का चयन करें तथा साइन बटन पर क्लिक करें ।

Dashboard ▾ Help ▾

Dashboard Acknowledgement

**SUCCESS**

Thank you for submission.

System will verify / validate the information submitted after which acknowledgement will be sent in next 15 minutes

सफलता संदेश प्रदर्शित होगा

अगले 15 मिनटों में पंजीकृत ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर पर एक पावती प्राप्त होगी । पंजीकृत ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर पर एप्लीकेशन रेफरेन्स नम्बर(एआरएन) रसीद भेजी जाएगी ।